रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226316 CG-DL-E-01042021-226316

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1330] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943 No. 1330] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1441(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खंड (ढ़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (1) के उपबंध, नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) वैश्विक महामारी की अविध के दौरान ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने वाले परिवहन यान पर, 30 सितम्बर, 2021 तक लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. आर टी-11036/110/2020-एम वी एल] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS ORDER

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 1441(E).—In exercise of the powers conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the section 66 of the said Act shall not apply to a transport vehicle used exclusively for the carriage of oxygen during the period of Novel Corona Virus (COVID-19) pandemic up to the 30th September, 2021.

[F. No. RT-11036/110/2020-MVL] AMIT VARADAN, Jt. Secy.

2002 GI/2021